

## জেসিআই দ্বারা এমএসপি (MSP)/ বাণিজ্যিক (Commercial) ক্রয় প্রক্রিয়া

### এবং জুট I-CARE-এর অধীনে পরিষেবা প্রদান সম্পর্কে তথ্য

১) যদি কৃষকরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাদের পাটের জন্য MSP-এর সমান মূল্য না পান, তাহলে তারা জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (JCI) এর নিকটতম DPC-তে যোগাযোগ করতে পারেন। সদ্য চালু PAAT-MITRO মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটিতে JCI এর সমস্ত আহরণ কেন্দ্রের সঠিক অবস্থান রয়েছে, তাই কৃষকদের MSP-এর চেয়ে কম দামে মধ্যস্থত্বভোগীদের কাছে তাদের পণ্য বিক্রি না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

জেসিআই র কাছে পাট বিক্রির সুবিধার্থে কৃষক নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় নথি:-

- ক) আধার কার্ড/ভোটার কার্ডের প্রতিলিপি,
- খ) ব্যাঙ্ক পাসবুকের প্রথম পাতার প্রতিলিপি,
- গ) ব্যাঙ্ক ম্যান্ডেট ফর্ম,
- ঘ) রাজ্যের বা কেন্দ্রীয় সরকার এর কৃষি বিভাগের পোর্টালের অধীনে কৃষক হিসাবে নিবন্ধনের প্রমাণ যেমন কৃষকবন্ধু পোর্টাল, প্রধানমন্ত্রী কৃষি সন্মান নিধি, কৃষি ক্রেডিট কার্ড। ব্লক/পঞ্চায়েত অফিস থেকে আধার নম্বর সম্বলিত শংসাপত্র।

২) জেসিআই ডিপিসিতে পাট বিক্রির জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:-

- ক) কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট ডিপিসি, বিক্রয়ের জন্য দেওয়া পাটের জন্য রেট স্লিপ ইস্যু করবে।
- খ) ডিপিসির ভিতরে পাটকে বাধ্যতামূলকভাবে ওজন করতে হবে। বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী ডিপিসি প্রাঙ্গণের বাইরে করা ওজন গ্রহণযোগ্য নয়।
- গ) জেসিআই ট্যালি স্লিপের অনুলিপি সহ বিভিন্ন তথ্য যেমন কৃষক নিবন্ধন সংখ্যা, কৃষকের নাম, স্থূল ওজন, কর্তন (কারণ: ধুলো/আদ্রতা/অবাণিজ্যিক পাটের মান), নেট ওজন, দর, জেসিআই থেকে প্রাপ্য প্রকৃত পরিমাণ অর্থ ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করবে। ডিপিসি ইনচার্জের কাছ থেকে অতি অবশ্যই রেট স্লিপ এবং ট্যালি স্লিপ সংগ্রহ করার জন্য কৃষকদের কে অনুরোধ করা হচ্ছে কেন কি উক্ত স্লিপ ছাড়া বিক্রয় লেনদেন অবৈধ।
- ঘ) কৃষকরা ৩ কার্যদিবসের মধ্যে পেমেন্ট পাবেন। ৩ দিনের বেশি পেমেন্ট বিলম্বের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য কোন বিষয়ে জানতে, রেট স্লিপ এবং ট্যালি স্লিপ নম্বর উল্লেখ করে অভিযোগ উত্থাপিত করা যেতে পারে।
- ঙ) মাসভিত্তিক অনুমোদিত আর্দ্রতার সীমা নিম্নরূপ:

ক্ষেত্র	জুলাই-অক্টোবর	নভেম্বর থেকে
দক্ষিণবঙ্গ	২০%	১৮%
দক্ষিণবঙ্গ ছাড়া	১৮%	১৬%

চ) কৃষক প্রতি দৈনিক সীমা ৩৫ কুইন্টাল এবং একটি পাট মৌসুমে ৭০ কুইন্টাল। এই সীমা জেসিআই কর্তৃপক্ষ এর বিবেচনার ভিত্তিতে পরিবর্তন সাপেক্ষে।

৩) অন্যান্য অভিযোগের জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:

- ক) জেসিআই হেল্পলাইন নম্বর — 9051141971 / ৯০৫১১৪১৯৭১
- খ) ভিজিলান্স / সিভিক – 8240549236 / ৮২৪০৫৪৯২৩৬
- গ) ইমেইল – [jci@jcimail.in](mailto:jci@jcimail.in)

৪) আগ্রহী সমিতি যাদের পাট ক্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো আছে, তারা জেসিআই এর পক্ষ হয়ে এবং জেসিআই এর আউটসোর্সড এজেন্সি হিসাবে ন্যূনতম সাহায্যক মূল্যে চাষি দেব থেকে কাঁচা পাট ক্রয় এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এই কাজের যোগ্যতা অর্জনের জন্য, আবেদনকারীকে নিম্নলিখিত পরিকাঠামো থাকতে হবে।

ক) ন্যূনতম 300 কুইন্টাল কাঁচা পাট সংরক্ষণের জন্য গোডাউন

খ) বেল প্রেস মেশিন।

গ) কার্যকরী মূলধন - 15,00,000 টাকা

ঘ) কাঁচা পাট ক্রয়ের জন্য অভিজ্ঞ কর্মী দল।

ঙ) সমবায় আইনের অধীনে নিবন্ধন।

৫) কর্পোরেশন **পাট - ICARE** স্কিম এর অধীনে পাট চাষ সম্পর্কিত নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলি প্রদান করে :-

ক) জেসিআই-এর সমস্ত ক্রয় কেন্দ্রে এবং জেসিআই-এর তালিকাভুক্ত সমস্ত সমিতিগুলি তে বপনের মৌসুমে সারটিফাইড বীজ উপলব্ধ থাকে।

খ) ভাল উৎপাদনশীলতার জন্য লাইনে বপনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। লাইনে বপনের জন্য মেশিন জেসিআই-এর সমস্ত ক্রয় কেন্দ্রে অথবা জেসিআই-এর তালিকাভুক্ত সমস্ত সমিতিগুলি থেকে পাওয়া যেতে পারে।

গ) নেইল উইডার যন্ত্র আগাছার পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এটির ব্যবহারে শ্রমিক খরচ কম হয়। এই যন্ত্র জেসিআই-এর সমস্ত ক্রয় কেন্দ্রে অথবা জেসিআই-এর তালিকাভুক্ত সমস্ত সমিতিগুলি থেকে পাওয়া যেতে পারে।

ঘ) ভালো মানের পাট উৎপাদনের জন্য এবং দ্রুত রেটিং করার জন্য রেটিং অ্যাক্সিলারেটর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। রেটিং অ্যাক্সিলারেটর জেসিআই-এর সমস্ত ক্রয় কেন্দ্রে অথবা জেসিআই-এর তালিকাভুক্ত সমস্ত সমিতিগুলি থেকে বিনা মূল্যে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পাওয়া যেতে পারে।

ঙ) কৃষকদের গুগল প্লে-স্টোর থেকে "PAAT-MITRO" অ্যাপ ডাউনলোড করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কৃষি বিষয়ক পরামর্শ, জেসিআই এর ক্রয় কেন্দ্রে গুলির অবস্থান, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, এম এস পি ইত্যাদি এর মতো বিভিন্ন তথ্য এই অ্যাপ থেকে জানা যাবে।

৬) উপরে উল্লিখিত I-CARE কার্যক্রমে আগ্রহী সোসাইটি, এফপিও ইত্যাদি জেসিআই এর সাথে একটি এমওইউ (MOU) এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে করতে পারে। সমিতি/এফপিও-কে নির্দিষ্ট পরিমাণে পরিষেবা চার্জ প্রদান করা হবে।

**INFORMATION ON PURCHASE PROCEDURE UNDER MSP/ COMMERCIAL AND JUTE ICARE**  
**SERVICES PROVIDED BY JCI**

- 1) In the event of the farmers not getting par MSP prices for their jute from the traders, they can approach the nearest DPC of the Jute Corporation of India (JCI). The newly launched PAAT-MITRO mobile application contains the exact locations of all JCI's procurement centres. Therefore, the farmers are advised not to sell their produce to middlemen at prices lower than the MSP.

Documents required for farmer registration to facilitate sale of jute to JCI:-

- a) Copy of Aadhar Card / Voter Card.
  - b) Copy of the front page of the Bank Passbook
  - c) Bank Mandate Form
  - d) Proof of registration as a farmer under portals of Agricultural Department of states or Central Government like Krishak Bandhu Portal, Pradhan Mantri Kishan Samman Nidhi, Kishan Credit Card. Certificate from Block / Panchayat offices containing Aadhar Number .
- 2) Important Information for Jute Sale to JCI DPC:-
- a) The respective DPC of the Corporation will issue Rate Slips for the jute offered for sale
  - b) Weightment of jute is to be compulsorily done inside the DPC. Weightment carried out outside the DPC premises is not acceptable as per the extant rules.
  - c) JCI will provide copy of tally slip with various information such as farmer registration number, farmer name, gross weight, deduction (due to dust/ moisture/non-commercial value jute), net weight, rate, actual amount receivable from JCI, etc. The farmers are requested to collect rate slip and tally slip from the DPC In-charge without fail as the sale transaction is invalid without the said slips.
  - d) Farmers will get payment within 3 working days. In case of any delay in payment beyond 3 days or other clarification, grievance may be raised referring the rate slip and tally slip numbers.
  - e) The month-wise allowable moisture limit for are as follows:

<b>Region</b>	<b>July-October</b>	<b>November onwards</b>
South Bengal	20%	18%
Other than South Bengal	18%	16%

f) Per day limit per farmer is 35 quintals and 70 quintals in a jute season. The said limits are subject to change as per management's discretion.

3) For any complaint, please contact:

a) JCI Helpline Number — 9051141971

b) Vigilance / CVC - 8240549236

c) Email – [jci@jcimail.in](mailto:jci@jcimail.in)

4) Interested Societies having necessary infrastructure for jute procurement, may apply for procuring raw jute under MSP on behalf of the Corporation as its Outsourced Agency. In order to qualify for the same, the applicant should possess the following infrastructural facilities :

a) Godown capacity for storage of minimum 300 quintals of raw jute

b) Bale press machine .

c) Working capital — Rs 15,00,000

d) Experienced manpower for purchase raw jute

e) Registration under cooperative act.

5) The Corporation provides the following services related to jute cultivation under the Jute-ICARE Scheme :-

a) Certified Seed are made available at all JCI's Purchase Centres as well as with the empaneled Societies in the sowing season.

b) Machine for Line Sowing advised for better productivity can be obtained from the DPCs of JCI and empaneled societies.

c) Nail Weeder is advised to be used for mechanical weeding which helps in reducing labour cost. The same can be obtained from the DPCs of JCI and empaneled societies.

d) Retting Accelerators are advised to be used for faster retting for producing better quality Jute. The retting accelerators are available free of cost from the JCI DPC and empaneled societies, subject to availability.

e) Farmers are advised to download the "PAAT-MITRO" App from Google play-store to have access to various information like Agro-Advisories, locations of JCI's DPCs, MSP Rates, weather forecast etc.

6) Societies FPOs etc interested in participating in the above-mentioned I-CARE activities with JCI may do so through an MoU. Service charges will be paid to the societies/ FPOs.

## जेसीआई द्वारा एमएसपी/वाणिज्यिक के अंतर्गत खरीद प्रक्रिया की जानकारी

### एवं जूट I-CARE के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं

1) किसानों को व्यापारियों से उनके जूट के लिए एमएसपी के बराबर मूल्य नहीं मिलने की स्थिति में, वे भारतीय जूट निगम (जेसीआई) के निकटतम डीपीसी से संपर्क कर सकते हैं। नव लॉन्च किया गया PAAT-MITRO मोबाइल एप्लिकेशन में जेसीआई की सभी खरीद केन्द्रों के सटीक स्थान शामिल हैं, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी उपज एमएसपी से कम औने-पौने दाम पर बिचौलियों को न बेचें।

जेसीआई को जूट की बिक्री की सुविधा के लिए किसान पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

- क) आधार कार्ड/ वोटर कार्ड की प्रति,
- ख) बैंक पासबुक के पहले पन्ने की प्रति,
- ग) बैंक अधिदेश प्रपत्र,
- घ) राज्य या केंद्र सरकार के कृषि विभाग पोर्टल के तहत किसान के रूप में पंजीकरण का प्रमाण जैसे कृषकबंधु पोर्टल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, आधार नंबर युक्त ब्लॉक/ पंचायत कार्यालयों से प्रमाण पत्र।

2) जेसीआई डीपीसी को जूट बिक्री के लिए महत्वपूर्ण जानकारी :-

- I. निगम की संबंधित डीपीसी बिक्री के लिए प्रस्तावित जूट के लिए रेट स्लिप जारी करेगी।
- II. जूट का वजन डीपीसी के अंदर अनिवार्य रूप से किया जाना है। डीपीसी परिसर के बाहर कराया गया वजन मौजूदा नियमों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है।
- III. जेसीआई किसान पंजीकरण संख्या, किसान का नाम, सकल वजन, कटौती (धूल/ नमी/ गैर-व्यावसायिक मूल्य जूट के कारण) शुद्ध वजन, दर, जेसीआई से प्राप्त वास्तविक राशि जैसी विभिन्न जानकारी के साथ टैली स्लिप की प्रति प्रदान करेगा। किसानों को डीपीसी प्रभारी से रेट स्लिप और टैली स्लिप अनिवार्य रूप से प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है, उक्त पर्चियों के बिना बिक्री लेनदेन अमान्य है।
- IV. किसानों को 3 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान मिल जाएगा। भुगतान में किसी भी देरी के मामले में (3 दिन या अन्य) स्पष्टीकरण के बाद रेट स्लिप और मिलान पर्ची संख्या का हवाला देते हुए शिकायत की जा सकती है।
- V. माहवार स्वीकार्य नमी सीमा इस प्रकार है :

क्षेत्र	जुलाई से अक्टूबर	नवंबर से आगे
दक्षिण बंगाल	20%	18%
दक्षिण बंगाल के अलावा	18%	16%

- VI. जूट सीजन में जूट बिक्री की सीमा प्रति किसान 70 क्विंटल और प्रति किसान प्रति दिन 35 क्विंटल है। उक्त सीमाएं प्रबंधन के विवेक के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।

3) किसी भी शिकायत के लिए कृपया संपर्क करें:

- क) जेसीआई हेल्पलाइन नंबर - 9051141971
- ख) जेसीआई हेल्पलाइन नंबर - 9051141971
- ग) ईमेल – [jci@jcimail.in](mailto:jci@jcimail.in)

4) निगम की ओर से अपनी आउटसोर्स एजेंसी के रूप में एमएसपी के तहत कच्चे जूट की खरीद के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे वाली इच्छुक समितियां आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, आवेदक के पास निम्नलिखित बुनियादी सुविधाएँ/ ढांचा होना चाहिए :

- क) न्यूनतम 300 क्विंटल कच्चे जूट के भंडारण के लिए गोदाम की क्षमता,
- ख) बेल प्रेस मशीन,
- ग) कार्यशील पूंजी - 15,00,000 रुपये,
- घ) कच्चे जूट की खरीद के लिए अनुभवी जनशक्ति,
- ङ) सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकरण।

5) निगम जूट- आईसीएआरई योजना के अंतर्गत जूट की खेती से संबंधित निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है:-

- क) प्रमाणित बीज जेसीआई के सभी खरीद केंद्रों के साथ-साथ सूचीबद्ध समितियाँ में बुआई के मौसम में उपलब्ध कराए जाते हैं।
- ख) बेहतर उत्पादकता के लिए सलाह दी गई है की लाइन बुआई के लिए मशीन जेसीआई और सूचीबद्ध सोसाइटियों की डीपीसी से प्राप्त की जा सकती है।
- ग) यांत्रिक निराई के लिए नेल वीडर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है जो श्रम लागत कम करने में मदद करता है, इसे जेसीआई के डीपीसी और पैनलबद्ध सोसाइटियों से प्राप्त किया जा सकता है।
- घ) बेहतर गुणवत्ता के उत्पादन के लिए तथा तेजी से रेटिंग के लिए रेटिंग एक्सेलेरेटर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। रेटिंग एक्सेलेरेटर जेसीआई डीपीसी और सूचीबद्ध समितियाँ में निःशुल्क उपलब्ध हैं (उपलब्धता के अधीन)।
- ङ) किसानों को सलाह दी जाती है कि वे कृषि-सलाहकार, जेसीआई के डीपीसी के स्थान, एमएसपी जैसी विभिन्न सूचनाओं, दरें, मौसम पूर्वानुमान आदि के लिए गूगल प्ले-स्टोर से "PAAT-MITRO" ऐप डाउनलोड करें।

6) उपर्युक्त आई-केयर गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रखने वाली सोसायटी, एफपीओ आदि जेसीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से ऐसा कर सकती है। सेवा शुल्क का भुगतान समितियों/एफपीओ को किया जाएगा।